



सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-14.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री संदीप सौरभ, स०वि०स०	“राज्य सरकार द्वारा ‘बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोनंति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020’ में नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण का प्रावधान करते हुए इस संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखा है। कई शिक्षकों को अपने विद्यालय में सेवा देने के लिए प्रतिदिन 4-6 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में वे न तो ठीक से अपने सामाजिक-पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाते हैं और न ही विद्यालय की शैक्षणिक जवाबदेही का। महिला शिक्षकों को इस बजह से और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानांतरण तथा पारस्परिक स्थानांतरण का इंतजार बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक वर्षों से कर रहे हैं।”	शिक्षा
2.	श्री सत्येदव राम, स०वि०स०	अतः ‘नियमावली, 2020’ के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों का स्थानांतरण के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”	
3.	श्री महा नंद सिंह, स०वि०स०		
4.	श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स०		
5.	श्री अमरजीत कुशवाहा, स०वि०स०		
6.	श्री अजय कुमार सिंह, स०वि०स०		
7.	श्री अजय कुमार, स०वि०स०		
8.	श्री मनोज मंजिल, स०वि०स०		
9.	श्री गोपाल रविदास, स०वि०स०		
10.	श्री विनय कुमार, स०वि०स०		
11.	श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स०वि०स०		
12.	श्री अरुण सिंह, स०वि०स०		

2. श्री अजीत शर्मा,

स०वि०स०

श्री अजय कुमार सिंह,

स०वि०स०

श्री आनन्द शंकर सिंह,

स०वि०स०

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ

मुना तिवारी,

स०वि०स०

श्री संतोष कुमार मिश्र,

स०वि०स०

श्री विश्व नाथ राम,

स०वि०स०

"राज्य में सभी पोस्ट पेड मीटर को हटाकर बिहार

ऊर्जा

स्टेट होलिंग पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रीपेड / स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान जारी है लेकिन जो मीटर लगाया गया है उसमें शिकायत है कि रिचार्ज राशि तुरंत खत्म हो जाती है। मीटर की जाँच की व्यवस्था उपभोक्ताओं के पास नहीं है। प्रीपेड मीटर लगाने की व्यवस्था क्रॉचाइज़ी को दी गयी है जो जानबूझकर तेज चलने वाला मीटर लगा रहा है। इसका कोई आकलन नहीं किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं उसपर कितनी बिजली सप्लाई हुई और कितने की बिलिंग हुई? यदि लाईन लॉस को भी उसमें जोड़ दिया जाता है तो भी सप्लाई से 20 से 30 प्रतिशत अधिक बिजली बिल जेनरेट हो रहा है।

अतः सही प्रीपेड मीटर लगाकर बिजली उपभोक्ताओं से हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्ष करते हैं।"

पवन कुमार पाण्डेय

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-07/2023- ५५१ / विंस०, पटना, दिनांक- १३ मार्च, 2023 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-07/2023- ५५१ / विंस०, पटना, दिनांक- १३ मार्च, 2023 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-07/2023- ५५१ / विंस०, पटना, दिनांक- १३ मार्च, 2023 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा ऊर्जा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-०७/२०२३-

५५।

/ विंस०, पटना, दिनांक- १३ मार्च, २०२३ ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

१३.३.२३
(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

१३.३.२३